न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0, 276/2006,(जी.सी.एम.एस. न. 2006/00003) पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. जुगली पुत्र परभाती (मृतक)

1/1. ललता प्रसाद पुत्र जुगली जाति माली निवासी जनूथर तहसील डीग

2. सोहनलाल
3. रेवन } पिस0 परभाती जाति माली नि0 जनूथर तहसील डीग

4. हीरालाल
5. बाबू
6. किरोडी
7. बल्लो
8. छीतर } पिस0 पीतम जातियान माली नि0 जनूथर

9. परसी पुत्र शोभाराम जाति माली नि0 जनूथर

10. जबाहर सिंह
11. मौहर सिंह
12. दयाराम } पिस0 हुक्मी जाति माली नि0 ग्राम जनूथर

13. सम्पत नवीरा रामचंद जाति माली नि0 जनूथर

14. वासुदेव उर्फ वासी नवीरा रामचंद जाति माली नि0 जनूथर(मृतक)

14/1. कस्तूरा पत्नी वासुदेव उर्फ वासी
14/2. भगवान सिंह उर्फ पपईया पुत्र वासुदेव उर्फ वासी
14/3. जगदीश उर्फ बब्बी पुत्र वासुदेव उर्फ वासी
14/4. सावित्री पुत्री वासुदेव उर्फ वासी } जातियान माली नि0 जनूथर

15. बल्ला
16. परसी
17. बसन्ता } नवीरा रामचंद जातियान माली नि0जनूथर

18. प्रभू पुत्र रामचंद जाति माली नि0जनूथर

19. चिरंजी पुत्र प्यारे
20. लच्छो पुत्र प्यारे } जातियान माली नि0 जनूथर

21. यादराम पुत्र भूप सिंह जाति माली नि0 जनूथर

22. नन्नू पुत्र बहोरी (मृतक) पुत्र मंगल जाति माली नि0 जनूथर

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

23. चन्दर
24. चूरामन } पिस0 परमा जातियान माली नि0जनूथर

25. मुस0 लक्ष्मी वेवा देवीराम(मृतक)

25/1. गजराज पुत्र देवीराम जाति माली नि0जनूथर

26. गजराज पुत्र देवीराम(बालिग) जाति माली नि0 जनूथर

27. पन्ना
28. बाबू
29. लाल सिंह } पिस. अंगद जाति माली नि0 जनूथर

30. मंगल पुत्र खिच्चू(मृतक)

30/1. करन सिंह
30/2. सोहनलाल
30/3. रतन
30/4. मोती } पिस0 मंगल जातियान गडरिया नि0 जनूथर

30/5. मुस. कलावती पत्नी स्व. मंगल जाति माली नि0 जनूथर

31. गिर्राज पुत्र खिच्चू(मृतक)

31/1. चरन सिंह
31/2. जगनी
31/3. भगवान सिंह } पिस0 गिर्राज जातियान गडरिया नि0 जनूथर

32. सुक्की
33. कन्हैया } पिस. खिच्चू जातियान गडरिया नि0 जनूथर

–वादीगण

बनाम

1. श्रीमति गिरेन्द्रकौर उर्फ बन्टी पुत्री स्व0 श्री राजा मान सिंह पत्नी श्री बी.एन. सिंह जाति फौजदार (जाट) नि0 मोतीझील की कोठी भरतपुर हाल नि0 नोपेडा 29,सेक्टर–37 का चौराहा नॉऐडा(उ.प्र.)
2. तहसीलदार तहसील डीग

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी ★ डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांकः 14.08.2024

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 1036 मिन रकबा 1 बीघा 12 विस्वा ,साविक जिसके हाल खसरा नम्बर 2965/0.19 ऐयर वाके ग्राम जनूथर में स्थित है। वहोरी पुत्र मंगल फौत हो चुका है तथा मृतक बहोरी के स्थान पर उसका वारिस व काबिज जायदाद उसके पुत्र नन्नू वादी नम्बर 22 को वादी पक्षकार बनाया गया है। आराजी खसरा नम्बर साविक 1036मिन रकबा 1 वीघा 12 विस्वा जिसके बन्दोवस्त विभाग ने हाल खसरा नम्बर 2965/0.19 ऐयर बनाये है वादीगण के पूर्वज पिता व पति की कब्जे काश्त व खातेदारी की पुश्तैनी आराजी है। उक्त आराजी मुत0 पर सम्वत 2013से आज तक पूर्व में वादीगण के उपरोक्त पूर्वज तथा उनके वाद उपरोक्त आराजी मुत0 पर वादीगण का विना किसी विघ्न के शांतिपूर्वक निरन्तर बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा चला आ रहा है तथा अब भी मौके पर उपरोक्त आराजी मुत0 पर वादीगण का ही वतौर खातेदार काश्तकार कब्जा काश्त है। वादीगण के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का व प्रति0 नम्बर 01 का उपरोक्त वर्णित आराजी मुत0 से कभी कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है। सैटिलमेंट विभाग ने गलत तरीके पर मुत0 के साविक आराजी खसरा नम्बर 1036मिन रकबा 1बीघा 12 विस्वा का नया नम्बर बनाते समय हाल खसरा नम्बर 2965 रकबा 0.19 ऐयर को प्रति0 संख्या 01 के खाते में ईजाद कर शामिल कर रेवेन्यू रिकार्ड में खातेदारी का इन्द्राज कर दिया है। जबकि मुताविक राजस्व रिकार्ड व मौका आराजी मुत0 हाल खसरा नम्बर 2965/0.19 ऐयर वादीगण के खाते में शामिल होकर वादीगण के नाम इन्द्राज होना चाहिए था। इस प्रकार बन्दोवस्त विभाग ने गलत तरीके से वादीगण के स्थान पर प्रति0 संख्या 01 को राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज कर दिया गया। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 2965/0.19 ऐयर वाके ग्राम जनूथर तहसील डीग पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रति0 संख्या 01 श्रीमति गिरेन्द्रकौर उर्फ वन्टी का नाम इन्द्राज खातेदारी को कलमजन किया जाकर वर्णित आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करने के आदेश फरमाये जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 24.10.2000 को प्रति0 संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। उन्होंने दावे का विरोध करते हुए अपना निम्नांनुसार जबाव पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2965 रकबा 0.19 ऐयर साबिक आराजी खसरा नम्बर 1036 मे से बनना गलत दर्शाया गया है। जबकि मुताबिक हाल व साविक नक्शे के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 2965 साविक आराजी खसरा नम्बर 1026 मि0 से बना है जोकि प्रतिवादिया की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की पुस्तैनी आराजी है। वहोरी फौत हो गया है अथवा उसका वारिस एक पुत्र नन्नू है विवादित आराजी पर नन्नू का कोई कब्जा काश्त नही है। दौराने सेटिलमेन्ट हाल आराजी खसरा नम्बर 2965 रकबा 19 ऐयर जो प्रतिवादिया की खातेदारी में दर्ज है। वह साविक आराजी खसरा नम्बर 1026 मिन से वना है। परन्तु गलती से बन्दोवस्त विभाग ने 1036 मिन से बनना दर्शा दिया है। इसलिए उक्त गलती का लाभ उठाकर वादीगण उक्त विवादित आराजी पर काबिज होना चाहते है। वादीगण का दावा मुताबिक कानून खारिज किये जाने योग्य है। उक्त विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

पर वादीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा और ना ही मौके पर आज कोई कब्जा है। जबकि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 2965 रकबा 19 ऐयर पर प्रतिवादिया ही कब्जा काश्त है। उक्त हाल आराजी खसरा नम्ब्र 2965 से साबिक आराजी खसरा नम्बर 1036 का कोई रकबा नही गया। जबकि साबिक आराजी खसरा नम्बर 1036 से एक अन्य दूसरा नम्बर 2966 रकबा 18 ऐयर का बनाया गया है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 2966 में ही साबिक आराजी खसरा नम्बर 1036 का रकबा 1 बीघा 12 विस्वा जाना दर्ज है। इसलिए दावा वादीगण रिकार्ड के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। हाल आराजी खसरा नम्बर 2965 प्रतिवादिया की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। वादीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। इसलिए धमकी देने का कोई प्रश्न ही नही उठता है। वादीगण किसी भी कानून में प्रतिवादिया को हुकम इम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है। हाल विवादित आराजी खसरा नम्बर 2965 रकबा 0.19 ऐयर से वादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है और ना कभी पहले था तथा विवादित आराजी पर वादीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा और ना मौके पर है जबकि उक्त विवादित आराजी प्रतिवादिया के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 2965 रकबा 0.19 ऐयर स्थित गांव जनूथर को बन्दोवस्त विभाग ने गलती से साविक आराजी खसरा नम्बर 1036 किससे बनना दर्शा दिया। जबकि इसके सामने यह दर्ज नही किया गया कि ख0 न0 1036 मि0 का कितना रकबा हाल आ0 ख0 न0 2965 मे गया है, जबकि सही तथ्य यह है कि साबिक आराजी ख0न0 1036 रकबा 1 बीघा 12 विस्से से हाल आराजी खसरा नम्बर 2966 बना है उसी में सारा रकबा गया है। हाल आराजी खसरा नम्बर 2965 से नही गया। वादीगण उक्त बन्दोबस्त विभाग की गलती का फायदा उठाकर प्रतिवादीया की खातेदारी के हाल ख0न0 2965 रकवा 19 ऐयर जो साविक आराजी खसरा नम्बर 1026 मि0 से बना है। अपने नाम कराकर काबिज होना चाहते है। दावा वादीगण मुताबिक रिकार्ड खारिज किये जाने योग्य है।उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 2965/0.19 ऐयर को बनाने में बन्दोवस्त विभाग से गलती हो गयी और साविक आराजी खसरा नम्बर 1036 मि0 से बनना दर्शा दिया जबकि मुताबिक साविक व हाल नक्शे के अनुसार मिलान क्षेत्रफल में गलत दर्शाया गया है। उक्त गलती को बन्दोवस्त विभाग ने स्वंय दिनांक 15.05.80 को सही करके इन्द्राज खोतदारी स्वर्गीय राजा मानसिंह के नाम किया गया। इसलिए अब वादीगण का यह कहना कि खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादिया के नाम गलत किये गये है। चलने योग्य नही है। दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है। उक्त विवादित आराजी ख0 न0 2965/0.19 ऐयर की वावत बन्दोवस्त विभाग ने पर्चा खतौनी भी प्रतिवादिया के पिता स्वर्गीय राजा मानसिंह के नाम से जारी किया गया था और उक्त इन्द्राज बन्दोवस्त विभाग के आदेश दिनांक 15.05.80 के आधार पर दुरूस्त किये गये है। इसलिए अब वादीगण को उक्त दावा में किसी प्रकार के कोई कानून अधिकार प्राप्त नही होते है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादिनी खारिज फरमाया जावे।

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर दिनांक 21.03.2002 को निम्नांनुसार तनकीयात कायम कीग गई:—

1. आया वादीगण विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।
2. आया वादीगण विवादित आराजी पर प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने के अधिकारी है।
3. आया प्रति0 का नाम हाल राजस्व रिकार्ड से कलमजन किये जाने योग्य है।
4. आया आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के अनुसार न्यायालय को दावा सुनने का क्षेत्राधिकार ना होने के कारण काविले खारिजी के है।
5. दादरसी।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

मौखिक साक्ष्य में प्रति0 बलराम उर्फ बल्लो डी–डब्ल्यू–1, गवाह डी–डब्ल्यू–2 तेजराम, डी–डब्ल्यू–3 सत्यदेव के बयान कराये गये।

बहस के दौरान वकील वादिया ने अपने दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रति0 कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है और वक्त साविक आराजी में से वक्त सैटिलमेंट ऑपरेशन के दौरान साविक आराजी खसरा नम्बर 1048 रकबा 1 वीघा 6 विस्वा से नवीन नम्बर 2986/0.17 बनाया था तथा खसरा नम्बर 1048 रकबा 15 विस्वा से नवीन नम्बर 2984 बनाया था जोकि पूर्व से ही प्रति0 की खातेदारी में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार साविक खसरा नम्बर 1048 रकबा 01 वीघा 6 विस्वा हाल खसरा नम्बर 2986/0.17 व साविक नम्बर 1049 रकबा 7 विस्वा का कोई नया नम्बर नहीं बना। साविक नम्बर 1051 रकबा 15 विस्वा का हाल नम्बर 2984/0.12, साविक नम्बरान 1048,1049,1051 का हाल नम्बरान 2978/0.45 है। इस प्रकार दावा वादिनी स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किया जावे। वकील प्रति0 के द्वारा अपनी बहस प्रस्तुत करते हुए उनके जबाव में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि दावा वादिनी मैण्टेनेबिल नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

<u>तनकी संख्या 1 व 3:–</u> उक्त दोनों तनकीयात एक दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है। वादिया का अपने वाद में मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि विवादित खसरा नम्बर 2978/0.45 वाके ग्राम जनूथर बन्दोवस्त से पूर्व वादनी की खातेदारी की आराजी है। परन्तु सैटिलमेंट विभाग ने गलत तरीके पर खसरा नम्बर 2978को प्रति0 के गत खसरा नम्बर 1049, 1051, 1048 से बना हुआ दिखाते हुए प्रति0 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। आगे वादनी का यह भी कथन रहा है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2978/0.45 को उनके गत खसरा नम्बर 1026,1027, 1028 से बनाया गया है। जिस पर पहले राजा मानसिंह काश्त करते थे। उनके वाद वादनी काश्त करते है। इसलिए वादनी को खसरा नम्बर 2978/0.45 का खातेदार दर्ज किया जावे। इसके विपरीत प्रति0 ने वादिया का विरोध करते हुए कथन रहा है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2978/0.45से वादिया व उनके पिता स्व0 राजा मान सिंह का कोई सम्बन्ध नहीं रहा। उक्त ख0नम्बर 2978 प्रति0 के गत ख0नम्बर 1048 रकबा 01 बीघा 6 विस्वा मिन, 1049/0–7, 1051/0–18 मिन, वाके ग्राम जनूथर की आराजी से बनाया है तथा मिलान क्षेत्रफल में भी इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 2978 को बनना बन्दोवस्त द्वारा दिखाया है। जिस पर शुरू से ही उनका कब्जा है।

राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 2978/0.45 को बन्दोवस्त विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नम्बर 1051 मिन रकबा 16 विस्वा, 1049 रकबा 7 विस्वा, 1048 मिन रकबा 01 बीघा 6 विस्वा की आराजी से बनना दिखाया है जोकि गत जमाबन्दी सम्बत 2013–2016 प्रदर्श डी–1में प्रति0 खातेदारी मं दर्ज है, तथा वादनी के गत खसरा नम्बर 1027, 1026,1028 से मिलान क्षेत्रफल में अन्य नवीन खसरा नम्बरान 2964, 2979, 2962 बनाये जाने प्रतीत होते है। जोकि वर्तमान रिकार्ड में वादनी के नाम दर्ज है। वादनी द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बरान के वारे में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत वाद में एवं राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट नहीं किया गया है। वादनी को अपने सम्पूर्ण रकबा गत के अनुसार रिकार्ड पेश करना चाहिए था। वादनी द्वारा पेश गत नक्सा व हाल नक्सा के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2978 को गत खसरा नम्बरान 1051, 1049,1048 की आराजी से ही बनाया गया है। वादनी अपने वाद एवं दस्तावेजी साक्ष्य से इस तनकी संख्या 01 व 3 को अपने पक्ष में प्रमाणित नहीं कर सकी है। इसलिए तनकी संख्या 01 व 03 को अपने पक्ष में प्रमाणित नहीं कर सकी है तथा ना ही कोई रिकार्ड/साक्ष्य पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 01 व 03 वादनी के विरूद्व तय की जाती है। बन्दोवस्त विभाग द्वारा जो इन्द्राज गत राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रति0 के नाम खसरा नम्बर 2978 दर्ज किया है वह सही है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डी०) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत गवाहान ने भी विवादित खसरा नम्बर पर वादीगण का कब्जा होना बताया है। प्रति0 द्वारा मात्र एक गवाह डी–डब्ल्यू–2 पदम सिंह को प्रस्तुत किया है,जोकि जिरह में स्वीकार वह राजा साहव का ट्रैक्टर का ड्राईवर है जोकि हितवद्व साक्षी है, इसलिए तनकी संख्या 01 को वादीगण ने अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अपने पक्ष में सावित किया है तथा वादीगण खसरा नम्बर 2965/0.19 वाके ग्राम जनूथर के खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है।

<u>तनकी संख्याः–2,</u> चूँकि तनकी संख्या 01 की विवेचना में यह सावित है कि विवादित खसरा नम्बर 2965/0.19 वाके ग्राम जनूथर वादीगण की खातेदारी का है। जिसे बन्दोवस्त विभाग द्वारा प्रति0 के पिता स्व0 राजा मानसिंह के नाम दर्ज कर दिया तथा बन्दोवस्त विभाग को किसी की आराजी के इन्द्राज को बदलने का अधिकार नहीं है। इसलिए तनकी संख्या 02 के जरिये वादीगण,प्रति0 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पावंद करा पाने के अधिकारी है तथा यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

<u>तनकी संख्या 3,</u>:–चूँकि तनकी संख्या 01 व 02 का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया गया है और वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये गये है इसलिए तनकी संख्या 03 में वादीगण प्रति0 के पक्ष में दर्ज किये जा रहे इन्द्राजात को कलमजन कराकर ही अपने नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज करा पाने के अधिकारी है। इसलिए तनकी संख्या 03 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्याः–4,</u> इस तनकी को सावित करने का भार प्रति0 पर है,लेकिन प्रति0 ने अपने जवाव दावा एवं प्रस्तुत बहस में इस तनकी को सावित करने के लिए ना तो कोई कानूनी तर्क प्रस्तुत किये है और ना ही इस तनकी को अपनी बहस में उल्लेखित किया है जिससे प्रतीत होता है कि प्रति0 इस तनकी पर कोई प्रेस नहीं कर रहे है दावा वादीगण आराजी की उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसे सुनने का अधिकारी इस न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 04 प्रति0 के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत बहस, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, बयानात, कानूनी द्वष्टांत के आधार पर हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 टि0 एक्ट,को स्वीकार किया किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :–

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने से स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 2965/0.19 वाके ग्राम जनूथर में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ. रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी डीग (राज.)

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner